HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 8th January, 2016

No. G.S.R.2/Const./Art./309/2016.---In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Transport Department (Group C) Haryana Roadways Service Rules, 1995, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Transport Department (Group C) Haryana Roadways Service (Amendment) Rules, 2016.
2. In the Haryana Transport Department (Group C) Haryana Roadways Service Rules, 1995 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), under the heading "Operational Staff" ,---

(A) for the existing clauses (g), (gg) and (ggg) , the following clause shall be substituted, namely :-

"(g) in case of Heavy Vehicle Driver ,---

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India" ;

(B) clause (h) shall be omitted ;

(C) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-

"(i) in case of Conductor ,--

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India".

3. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :---

"(1) Persons appointed to any post in the Service other than driver and conductor shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one

year, if appointed otherwise. In case of driver and conductors appointed by direct recruitment, the probation period shall be three years.

Provided that --

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to the service may, in case of any appointment by transfer, at the discretion of appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy".

4. In the said rules, in rule 13, clauses (e) and (f) alongwith the entries, wherever occurring shall be omitted.

5. In the said rules, in Appendix A, under column 1, 2 and 3, under the heading "Operational Staff" ,--

(A) for serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely ;

1	2	3
"9	Heavy Vehicle Driver	5200-20200+2400 grade pay";

(B) serial number 10 and entries thereagainst shall be omitted ;

(C) for serial number 11 and entries thereagainst, the following serial number and entries shall be substituted, namely ;

1	2	3
"11	Conductor	5200-20200+1900 grade pay".

6. In the said rules, in Appendix B, under column 1, 2, 3 ,4 and 5, under heading "Operational Staff" ,--

(A) for serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely ;

1	2	3	4	5
9	Heavy Vehicle Driver	(i) Matric ; (ii) should hold driving licence of heavy transport vehicle with 3 years experience of driving heavy transport vehicle ; (iii) should have passed the driving tests conducted by the Haryana Staff Selection Commission ; (iv) should not be a colour blind ; (v) Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education ;	(i) Matric ; (ii) should have a heavy transport vehicle driving licence atleast three years old ; (iii) three years experience of driving heavy transport vehicle ; (iv) should not be a colour blind ; (v) Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education ; (vi) If not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age".	

(B) serial number 10 and entries thereagainst shall be omitted ;

(C) for serial number 11 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely ;

1	2	3	4	5
"11	Conductor	(i) Matric ;	(i) Matric ;	

		(ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education ; (iii) should hold conductor's license.	(ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education ; (iii) should hold conductor's licence.	

7. In the said rules, in Appendix C, under heading "Operational Staff ;-

(i) under column 1 and 2, serial number 8 and entry thereagainst shall be omitted ;

(ii) under column 1 and 2, against serial number 10 and 11 and entries theragainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:--

1	2
"10	Heavy vehicle driver
11	Conductor".

8. In the said rules, in Appendix D ;-

(i) against serial number 9, under column number 2 for existing entries, the following entry shall be substituted, namely :-

"Heavy vehicle driver";

(ii) serial number 10 and entry thereagainst shall be omitted ;

(iii) against serial number 11, under column 2 for existing entries, the following entry shall be substituted, namely :-

"Conductor".

S.S.Dhillon,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

हरियाणा सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2016

संख्या सा0का0नि0 2/संवि0/अनु0 309/2016.– भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग (ग्रुप ग) हरियाणा रोड़वेज सेवा नियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः–

1. ये नियम हरियाणा राज्य परिवहन विभाग (ग्रुप ग) हरियाणा रोड़वेज सेवा (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा राज्य परिवहन विभाग (ग्रुप ग) हरियाणा रोड़वेज सेवा नियम, 1995 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) में, ''परिचालन कर्मचारिवृन्द'' शीर्ष के नीचे ,–

(अ) विद्यमान खण्ड (छ), (छछ) तथा (छछछ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

''(छ) भारी वाहन चालक की दशा में ,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;'' ;

(आ) खण्ड (ज) लोप कर दिया जायेगा ;

(इ) खण्ड (झ), के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(झ) परिचालक की दशा में ,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;''।

3. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(1) चालक तथा परिचालक से अन्यथा सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया

गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त चालक और परिचालकों की दशा में, परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगीः

परन्तु –

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने दी जा सकती है ; तथा

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 13 में, खण्ड (ङ) तथा (च) और प्रविष्टियॉ, जहां कहीं भी आएं, का लोप कर दिया जायेगा।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट–क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, "परिचालन कर्मचारिवृन्द" शीर्ष के नीचे,–

(अ) क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जांएगी, अर्थात् :–

1	2	3
''9	भारी वाहन चालक	5200–20200+2400 ग्रेड वेतन'';

(आ) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(इ) क्रम संख्या 11 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
''11	परिचालक	5200–20200+1900 ग्रेड वेतन''।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3, 4 तथा 5 के नीचे, "परिचालन कर्मचारिवृन्द" शीर्ष के नीचे,–

(अ) क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जांएगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5
''9	भारी वाहन चालक	(i) मैट्रिक ; (ii) भारी परिवहन वाहन चालन का 3 वर्ष के अनुभव सहित भारी परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी	(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी भारी परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ;	

		चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ;	(iii) भारी परिवहन वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;'' ।	

(आ) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(इ) क्रम संख्या 11 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5
''11	परिचालक	(i) मैट्रिक ; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ; (iii) परिचालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;	(i) मैट्रिक ; (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ; (iii) परिचालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए''।	

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग में, "परिचालन कर्मचारिवृन्द" शीर्ष के नीचे,–

(i) खाना 1 तथा 2 के नीचे क्रम संख्या 8 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 10 तथा 11 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
''10	भारी वाहन चालक
11	परिचालक'' ।

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, "परिचालन कर्मचारिवृन्द" शीर्ष के नीचे,–

(i) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना 2 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''भारी वाहन चालक'';

(ii) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 2 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''परिचालक''।

एस0एस0ढिल्लों
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।